संख्या– 18 /एक–10–2019–15(जी)/2017

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद ।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2019

विषयः वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से जनपद की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों का विवरण आपके पत्रांक 2587/3 सी दिनांक–25–09–2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनकी मरम्मत हेतु कुल रू0–107.25 लाख की धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– आपके जनपद की मांग के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश दिनांक–18–04–2015 में निर्धारित मानक के अनुसार बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 107.25 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
1	रा0मा0–2 से वाया उरावर कौरारी– कमतरी मार्ग के कौरारी घाट पर यमुना नदी पर पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	7.94
2	जनपद फिरोजाबाद में देवन्श नगला होते हुये फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग पर शाह सूफी रहमतउल्ला अलैह दरगाह के निकट यमुना नदी पर सेतु की पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	7.64
3	अतापुर से ततारपुर मार्ग।	1.75
4	फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग के कि0मी0–14 में गढ़ी तिवारी चौराहा।	5.96
5	नसीरपुर उरावर मार्ग।	1.59
6	कौरारा रेलवे फाटक से रामनगर मार्ग।	2.00
7	सिरसागंज रपड़ी मार्ग।	1.93
8	फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग के कि0मी0–14 गढ़ी तिवारी चौराहे से फरौल नगरिया तक मार्ग।	1.97

Scanned by CamScanner

9	बामई से ताखा मार्ग पर पड़ने वाली सेंगर नदी की पहुंच मार्ग।	5.11
10	शिकोहाबाद भोगांव मार्ग से बूढ़ा भरतरा मार्ग पर पुलिया एवं पटरियों का पुनः निर्माण का कार्य।	2.35
11	रा0मा0–2 के कि0मी0–267 से बूढ़ा भरतरा मार्ग से नगला तेजान मार्ग।	1.80
12	दतौजी से नया बांस तक मार्ग	12.23
13	आमौर मदनपुर मार्ग।	1.96
14	फिरोजाबाद दतावली मार्ग।	4.75
15	शिकोहाबाद बटेश्वर मार्ग।	2.43
16	फिरोजाबाद दतावली मार्ग से नरगापुर मार्ग।	1.50
17	सेफपुर के पास सेंगर नदी के पुल की एप्रोच का मार्ग।	4.50
18	कौरारा तिलायानी मार्ग।	1.48
19	जुनियर हाईस्कूल से फतेहपुर नसीरपुर मार्ग।	1.97
20	नसीरपुर उरावर मार्ग से मढैया मार्ग।	2.95
21	शिको0 बटेश्वर मार्ग से जलालपुर एवं छोटी बढ़ी स्यारमऊ खतौनी होकर धनपुरा मार्ग।	1.58
22	शिको0 बटेश्वर मार्ग से रामचन्द्र की दरगाह मार्ग।	1.21
23	मक्खनपुर नसीरपुर मार्ग से साढूपुर कल्याणपुर मार्ग।	1.00
24	मक्खनपुर नसीरपुर मार्ग से अरमरा जट मार्ग।	1.00
25	मक्खनपुर नसीरपुर मार्ग से धनपुरा मार्ग।	1.00
26	मक्खनपुर नसीरपुर मार्ग से स्यारमऊ मार्ग।	2.04
27	फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग।	3.84
28	करनपुर हैवतपुर मार्ग से असरावली मार्ग।	1.85
29	बछेला से सुकरुलापुर मार्ग।	1.00
30	नगला दानी से कोटरा होकर रुद्राणी मन्दिर तक मार्ग।	5.00
31	रा0मा0–2 से नला धुरे मार्ग।	2.00
32	बरकतपुर से नगला चूरा मार्ग।	0.50
33	बामई से ताखा मार्ग।	0.50

Scanned by CamScanner

34	नगला चूरा उस्मानपुर मार्ग से ठार रामभरोसी होते हुये रामदासपुरा मार्ग।	2.00
35	नगला चूरा से रामदासपुरा मार्ग।	2.03
36	नगला चूरा से रामदासपुरा मार्ग से मालीपट्टी–1 व 2 के सम्पर्क मार्ग।	0.50
37	नगला चूरा से रामदासपुरा मार्ग से मालीपट्टी–1 व 2 से 3 सम्पर्क मार्ग।	0.20
38	नगला चूरा उस्मानपुर मार्ग से अलादीपुरा मार्ग।	0.20
39	चन्द्रवार से भेंसावाट सम्पर्क मार्ग।	1.00
40	नन्दराम की मढैया से मड़वा मार्ग।	4.99
	योग	**107.25**
	(रूपये एक करोड़ सात लाख पचीस हजार मात्र)	

3— स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से उपभोग किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–1–803 /दस–2013–10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार किया जायेगा।

4— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800– अन्य व्यय–05–नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5— उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा। किसी भी अन्य कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6— कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के समय एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ अवश्य रखे जायें एवं प्रगति रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय की ई–मेल rahat@nic-in पर उपलब्ध करायी जाये।

7— राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8— निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9— राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध

Kr

Scanned by CamScanner

कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

10– राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

11– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12– व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकित कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या – 18 (1)/1–10–2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3– सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त , उ0प्र0।
5– अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, फिरोजाबाद ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
7– समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग–10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner